बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संचिका सं0–प्र0–02/अवैध खनन–07/16–................../एम0 पटना ,दिनांक..............

प्रेषक,

E-mail/Fax/
Whats-app

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (म0)।

सेवा में,

सभी उप निदेशक
सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– राज्यान्तर्गत सभी बालूघाटों पर बैरियर और धर्मकांटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना का पत्रांक 1774, दिनांक 28.03.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में जिन–जिन बालूघाटों पर बैरियर एवं धर्मकांटा उपलब्ध नहीं है, उन घाटों पर बैरियर एवं धर्मकांटा उपलब्ध कराया जाना है, ताकि वाहन पर लदे बालू का वजन एवं संबंधित कागजातों की जाँच की जा सके।

प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि पत्र में सन्निहित तथ्यों के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक–.........2062........../एम0,पटना,दिनांक–....11.5.18..........

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/5/18

11.5.18

सहायक निदेशक (मु0)

पत्रांक–1724/आ0अप0ई0,
आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।
(डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800001)

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक,
आर्थिक अपराध ईकाई,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भूतत्व एवं खनन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:–28/03/2018

विषय:– बिहार के जिन–जिन बालू घाटों पर बैरियर और धर्मकांटा उपलब्ध नहीं हैं, उन बालू घाटों पर बैरियर और धर्मकांटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री रमेश कुमार पाण्डेय, पूर्व पत्रकार, जिला चन्दौली, उत्तर प्रदेश के द्वारा अवैध उत्खनन से राजस्व की क्षति पहुंचाने से संबंधित परिवाद पत्र समर्पित किया गया है। श्री पाण्डेय के परिवाद पत्र की जॉच आर्थिक अपराध इकाई में पदस्थापित श्री वसी अहमद, पुलिस उपाधीक्षक से कराया गया। श्री अहमद द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के Rule No. 54(2) के तहत यदि प्रत्येक घाट पर बैरियर और धर्म कांटा का व्यवस्था होता, तो घाट से बाहर निकलते ही वाहन पर लदे बालू का वजन एवं संबंधित कागजात की जॉच हो जाती।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा टिप्पणी अंकित कर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु समर्पित की गयी, जिसमें वर्णित बिन्दु संख्या–8 पर कार्रवाई हेतु खनन विभाग से अपेक्षा की गई। उक्त टिप्पणी पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि बिहार में जिन–जिन बालू घाटों पर बैरियर और धर्मकांटा उपलब्ध नहीं है, उन घाटों पर बैरियर और धर्मकांटा उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि घाट से बाहर निकलते ही वाहन पर लदे बालू का वजन एवं संबंधित कागजात की जॉच हो सके।

विश्वासभाजन,

27/3/18

अपर पुलिस महानिदेशक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

AD-(HQ)

1978/7-4-018

959/ADHQ
9/4/18